<u>कर्मचारी चयन बोर्ड, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली</u>

<u>विज्ञापन सं.1 के तहत विज्ञाप्ति पद हेतु टंकण एवं कप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों हेतु अनुदेश</u>

1. **<u>अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हेतु अपनी पात्रता सुनिश्चित करना:</u>**

   परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पुरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पुरा करते हों। अभ्यर्थियों को मात्र प्रवेश-पत्र जारी होने के तात्पर्य यह नहीं है कि उनकी उम्मीदवारी को बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

2. उक्त परीक्षा में चयन कौशल/टंकण परीक्षा तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) के आधार पर किया जाएगा। टंकण परीक्षा मात्र पात्रता हेतु होगी। परीक्षा केन्द्र में टंकण परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार के की-बोर्ड को बाहर से लाने की अनुमति नहीं होगी।

3. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) में 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिये जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33% उत्तीर्णांक होगा। योग्यता क्रम-सूची 100 अंक के आधार पर अर्थात् (सी.बी.टी.) के 80 अंक तथा दमण एवं दीव / दादरा एवं नगर हवेली के निवासी (डोमिसाइल) हेतु निर्धारित 20 अंक, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा। योग्यता क्रम-सूची तैयार करने हेतु अंक मात्र सी.बी.टी. और निवासी (डोमिसाइल) हेतु दिये जाएंगे। किसी भी प्रकार का अन्य अंक नहीं दिया जाएगा। निवासी (डोमिसाइल) हेतु 20 अंक मात्र उन अभ्यर्थियों के मामले में देय होगा, जिन्होंने सी.बी.टी. में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किये हों।

4. जिन अभ्यर्थियों ने संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली दोनों प्रदेशों में उक्त पदों हेतु आवेदन किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को केवल **<u>एक ही प्रवेश-पत्र और एक ही क्रमांक दोनों प्रदेशों के लिए जारी किये जाएंगे और</u>** उन्हें केवल एक बार टंकण तथा सी.बी.टी. देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा सी.बी.टी. में प्राप्त अंक दोनों प्रदेशों के लिए योग्यता क्रम-सूची तैयार करने हेतु मान्य होगी। **<u>यदि ऐसे अभ्यर्थी दोनों ही प्रदेशों में चयनित हो जातेहैं तो ऐसे अभ्यर्थी को पदों के चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, जिस पद पर वह कार्यग्रहण करने को इच्छुक हों और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी परिस्थिति में अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।</u>**

5. दिव्यांगों के लिए आयु-सीमा में छूट दिया जाएगा, चाहे वह पद दिव्यांगों के लिए आरक्षितहो या न हो, बशर्ते कि उक्त पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के संगत श्रेणी हेतु उपयुक्त हों। ऐसे व्यक्तियों हेतु आयु-सीमा में छूट केवल उन दिव्यांगों को देय होगा जिसकी **अशक्तता न्यूनतम 40% हो**।

6. अवर श्रेणी लिपिक पद हेतु शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांलग) वर्ग के अभ्येर्थियों हेतु निर्देश।

a. अवर श्रेणी लिपिक पद हेतु शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) वर्ग के अभ्यर्थियों के निम्नलिखित वर्गों को विज्ञापन सं.1 दिनांक: 28.08.2017 के तहत अवर श्रेणी लिपिक पद हेतु आवदेन करने के लिए उपयुक्त माना गया है:

i) ओ.ए. = एक हाथ

ii) ओ.एल. = एक पैर

iii) बी.एल.=दोनों पैर

iv) ओ.ए.एल.= एक हाथ और एक पैर

v) बी= दृष्टिबाधित

vi) एल.वी.= कम दृष्टि

vii) एच.एच.= बधिर

b. **शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग)** सभी अभ्यर्थी अपने साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी शारीरिक विकलांगता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति परीक्षा के दिन अर्थात् 18.1.18 को परीक्षा केन्द्र में लायेंगे तथा इसी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति भी लेकर आयेंगे, जिसे केन्द्र प्रभारी द्वारा रखा जाएगा। **शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग)** मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए अवर श्रेणी लिपिक परीक्षा टंकण एवं कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा हेतु शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों हेतु लागू प्रावधानों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी जो अपने साथ विकलांगता प्रमाण-पत्र और इसकी स्व-अभिप्रमाणित प्रति अपनी साथ लायेंगे ।

c. जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक विकलांग वर्ग हेतु आवेदन प्रपत्र और ई-प्रवेश पत्र में भरा है, परंतु अपना शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र और उसकी उम्मीदवार स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत नहीं करते उन्हें परीक्षा हेतु शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिए लागू किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

d. यह ध्यातव्य है कि मात्र दृष्टिबाधित और कम दृष्टि श्रेणी वाले शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) दिनांक 18-1-18 को आयोजित होनेवाली कंप्यूटर आधारित एम.सी.क्यू परीक्षा हेतु अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ लिखनेवाले/पढ़नेवाले/सहायक को ला सकते हैं।

e. मात्र दृष्टिविहीन एवं कम दृष्टि वाले शारीरिक अक्षमों के लिए टंकण परीक्षा दिनांक: 13/01/2018 को 12:00 बजे (अपराहन), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, सचिवालय, मोटी दमण में आयोजित होगी । दृष्टिविहीन एवं कम दृष्टि वाले शारीरिक अक्षम अभ्यर्थियों में से दिनांक: 13/01/2018 को आयोजित टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही दिनांक: 18.01.18 को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित संबंधित केन्द्र पर, कंप्यूटर आधारित एम.सी.क्यू परीक्षा में शामिल हो सकते हैं । दिनांक: 13/01/18 को टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने वाले दृष्टिबाधित / कम दृष्टि वाले अभ्यर्थी अपने साथ मूल ई-प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र लेकर आयें। वे अपने साथ एक पढ़ने वाला / सहायक भी साथ लेकर आयें ।

f. दृष्टिविहीन / कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के अलावा, अन्य सभी शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग और कंप्यूटर आधारित परीक्षा ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित समय और केन्द्र पर दिनांक 18/01/2018 को आयोजित होगी ।

g. अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए केवल शारीरिक अक्षम श्रेणियों में से जिन्हें आवेदन करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है (जैसा कि निर्देश नंबर 1 में दिया गया है) वे उनके आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

h. सभी उम्मीदवार जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है उनके लिए पहले जारी किए गए निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन जमा किये गये जन्मतिथि (डी.ओ.बी.) की जांच उनके मैट्रिक्यूलेशन या माध्यमिक विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र या मैट्रिक्यूलेशन के समकक्ष किसी भारतीय विश्वद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिक्यूलेशन पंजी के उद्धरण, जिसे उक्त विश्वविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक के उचित प्राधिकारी प्रमाणित या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाएगी और उन्हें बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा। आयु से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ-पत्र, नगरपालिका निगम, सेवा अभिलेख और इसके समतुल्य अन्य दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. परीक्षा केन्द्र में कच्चे कार्य (रफ-वर्क) हेतु अतिरिक्त पृष्ठ दिया जाएगा।

9. **<u>मोबाइल फोन प्रतिबंधित</u>**:

क. परीक्षा आयोजन स्थल पर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट-वॉच, पेजर या किसी अन्य प्रकार का संचार उपकरण ले जानी की अनुमति नहीं होगी। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किये जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी जिसके अंतर्गत भविष्य में भी परीक्षाओं में प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

ख. अभ्यर्थियों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर जैसे प्रतिबंधित उपकरणों को परीक्षा स्थल पर न लायें, क्योंकि इनको सुरक्षित रहने की किसी भी व्यवस्था हेतु आवश्वासन नहीं दिया जा सकता।

10. <u>परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों का प्रवेश:</u>

परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों के प्रवेश की पात्रता के संबंध में बोर्ड द्वारा लिया गया नि र्णय अंतिम होगा।

11. **अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रवेश-पत्र सहित फोटो पहचान साक्ष्य (जैसे पासपोर्ट/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक) तथा विधिवत अभिप्रमाणित फोटो/महाविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी पहचान-पत्र/मूल सरकारी पत्र-शीर्ष में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान-पत्र/विशिष्ट पहचान पत्र (आधार) की मूल प्रति लानी होगी। कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा लाये गये**

फोटो पहचान दस्तावेज में नाम उसी प्रकार दर्ज होना चाहिए जैसा कि प्रवेश पत्र में (आवेदन करने के दौरान आपके द्वारा दिया गया है।) यदि प्रवेश-पत्र में अंकित नाम फोटो पहचान दस्तावेज से किसी भी प्रकार से मेल नहीं होता हो तो अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में जिन्होंने विवाह के उपरांत अपना नाम परिवर्तित किया हो और उनके फोटो पहचान दस्तावेज पर उनका नाम अलग हो, तो उन्हें केवल तभी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जब वे मूल राजपत्रित अधिसूचना/अपना मूल विवाह प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र की मूल प्रति अपने पहचान-पत्र के साथ लायेंगी।

12. बायोमैट्रिक डाटा (दाहिने अंगूठे का निशान) और फोटो परीक्षा स्थल पर, अर्थात् परीक्षा शुरू होने से पूर्व और परीक्षा संपन्न होने के उपरांत, दो बार लिया जाएगा। बायोमैट्रिक डाटा के संबंध में जांच प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय इस संबंध में (मेल या बेमेल) अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। बायोमैट्रिक डाटा लेने / जांच की प्रक्रिया में किसी भी अवसर पर शामिल होने से इंकार करने पर अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

    1. यदि अंगूली में किसी भी प्रकार का रंग (मुहर-स्याही/मेहंदी/रंग.....आदि) लगा हो, तो अंगूली को अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा से पूर्व रंग पूर्ण रूप से साफ हो जाए।
    2. यदि अंगूली गंदी या धूलरंजित हो तो फिंगर-प्रिंट (बायोमैट्रिक) लेने से पूर्व उसे धोकर सुखा लेना चाहिए।
       दोनों हाथों की अंगूलियों का सुखा होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि अंगुलियां नम हों, तो प्रत्येक अंगूली को पोंछकर सुखा लें।
    3. यदि प्रथम अंगूली (दाहिना अंगूठा) चोटग्रस्त/घायल हो, तो परीक्षा केन्द्र में संबंधित प्राधिकारी को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।
       (इन बिंदूओं का पालन नहीं किये जाने पर परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।)

<u>जुर्माना:</u>

अगर कोई अभ्यर्थी, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित का दोषी हो या घोषित किया गया हो:-

1. किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता हेतु समर्थन जुटाने का; अथवा
2. प्रतिरूपण; अथवा
3. किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण हासिल करना; अथवा
4. नकली दस्तावेज जमा करना या दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करना; अथवा
5. महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाकर गलत या असत्य ब्यौरा देना; अथवा
6. परीक्षा हेतु अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता बरतना या अनुचित साधनों का प्रयोग करना; अथवा
7. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों को अपनाना; अथवा
8. अपने लेखन में अश्लील भाषा या यौन संबंधी भाषा का प्रयोग करना; अथवा
9. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार से अपने साथी परीक्षार्थियों या निरीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करना; अथवा
10. परीक्षा के आयोजन हेतु बोर्ड द्वारा नियोजित/तैनात कर्मियों को किसी की शारीरिक प्रताड़ना देना या चोट पहूँचाने पर; या उपलब्ध पैनल और अनुशासनिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर। अभ्यर्थी को परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

Sd/-

सदस्य सचिव (क.च.बो.)

दमण एवं दीव तथा दानह